न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/111/2023	2023/417	07.08.2023	22.04.2024

1. अरसद पुत्र लीला,
2. जाकर पुत्र लाला, जातियान मेव, निवासीयान रूपबास, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 21.09.2020 नायब तहसीलदार मालाखेडा प्रकरण संख्या 27/2020।

उपस्थितः—

01. श्री बी0आर0 सैनी —वकील अपीलाण्ट्स

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 21.09.2020 प्रकरण संख्या 27/2020 जिसके द्वारा संवत 2079 में ग्राम अहीरबास की आराजी खसरा न0 420 रकबा 0.60 है0 किस्म बंजड में से अतिक्रमित रकबा 0.04 है0 पर मकान बनाकर अतिक्रमण करने पर बेदखली की कार्यवाही एवं 50 गुणा पैनल्टी कायम किये जाने से व्यथित होकर पेश की है, जिसके तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलार्थीगण को उक्त विवादित आदेश की जानकारी पटवारी हल्का के माध्यम से दिनांक 23.09.2020 को तक हुई जब पटवारी हल्का मौके पर पहुंचकर हम अपीलार्थीगण को उक्त विवादित आदेश के बारे में बतलाते हुए बेदखल करने की धमकी दी तथा शास्ति जमा करने के लिए कहा। जिस पर विवादित आदेश की नकल दिनांक 25.09.2020 को प्राप्त की कानूनी मशवरा वकील साहब से प्राप्त किया तथा लिखा पढी कराई जाकर आज अपील श्रीमान न्यायालय में पेश की जा रही है। तहत अदालत ने अपनी आज्ञा सादिर फरमाने से पूर्व कोई जांच नही की एवं ना ही पटवारी हल्का के बयान रिकोर्ड किये और न ही अपीलार्थीगण को उससे जिरह करने का मौका सादिर फरमाया एवं ना ही अपीलार्थीगण को अपनी आरे से दस्तावेजात पेश करने व गवाहन को पेश करने का मौका सादिर फरमाया गया। जिससे अपीलार्थीगण का केस गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व तथ्यों से विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण का कब्जा बतौर नाजायज कब्जा होना कतई जाहिर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

व साबित नही पाया जाता है। जो गलत है। आराजी खसरा न0 420 रकबा 0.60 है0 में से 0.04 है0 जिसकी किस्म बंजड है। अपीलार्थीगण के कब्जे की है तथा जिस पर अपीलार्थीगण का कब्जा गत करीबन 50 सालों से अपने बुजुर्गों के जमाने से चला आ रहा है। जिसमें अपीलार्थीगण के पूर्वज कच्चे मकानात छप्पर आदि बनाकर निवास करते थे और जिस पर अपीलार्थीगण का कब्जा अपने बुजुर्गान के जमाने से चला आ रहा है। जिसमे पूर्व में जो कच्चे छप्पर बने हुए थे। वो काफी पुराने होने के कारण ढह गये और जिनके स्थान पर गत करीबन 40 साल पहले अपीलार्थीगण ने पुख्ता मकानात बनाये हैं। इस प्रकार विवादित भूमि आराजी खसरा न0 420 रकबा 0.60 है0 में से 0.04 है0 पर अपीलार्थीगण का गत 50 सालों से अपने पूर्वजों के जमाने से कब्जा चला आ रहा है। जो कब्जा काफी पुराना होने के कारण राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार कानूनन अपीलार्थीगण के हक में विनियमन किये जाने योग्य थी। किन्तु तहत अदालत ने गौर नही फरमाया जो काबिले गौर श्रीमान है। उक्त विवादित आराजी अपीलार्थी के बुजुर्गों की मौरूसी जायदाद रही है कि जिस पर मिन अपीलार्थी अपने बुजुर्गों के समय से ही काबिज दाखिल चला आ रहा है। बिजली वगै0 के बिल पेश है। परिवार राशन कार्ड व आधार कार्ड भी इसी स्थान का बना हुआ है। जिससे उक्त विवादित आदेश काबिले अपास्त है। अपीलार्थीगण व उनके परिवार को रिहायश के लिए अन्य कोई मकानात नही है। यदि अपीलार्थीगण को बेदखल कर दिया गया तो अपीलार्थीगण बर्बाद हो जायेगा। जिस कारण भी विवादित भूमि अपीलार्थीगण के हक में विनियान फरमाये जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा उक्त विवादित आदेश पारित करने से पूर्व कोई 91 एल आर एक्ट का नोटिस जारी नही किया गया है। जिससे उक्त विवादित आदेश काबिले अपास्त है। उक्त विवादित आदेश पारित करने से पूर्व तहत अदालत को मिन अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए था। लेकिन तहत अदालत द्वारा ऐसा नही किया गया। कि जिससे उक्त विवादित आदेश काबिले अपास्त है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर आज्ञा जेर अदालत नायब तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर दिनांक 21.09.2020 निरस्त फरमाने के आदेश पारित किये जाये तथा विवादित आराजी खसरा न0 420 रकबा 0.60 है0 में से 0.04 है0 वाके ग्राम रूपबास तहसील मालाखेडा जिला अलवर अपीलार्थीगण के हक में विनियमन फरमाये जाने के आदेश सादिर फरमाया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

पत्रावली पर वकील अपीलान्ट की विस्तृत बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर चिन्तन–मनन किया। पटवारी हल्का रूपवास द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.09.2020 के द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमियों को नोटिस जारी किया गया जो अतिक्रमी को विधिवत तामील होकर संलग्न पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा नोटिस का जवाब अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव पेश किया गया। सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है। अपीलार्थी का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार राजकीय भूमि आराजी खसरा नं0 420 रकबा 0.60 में से 0.04 वाके ग्राम रूपवास पर अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है। उक्त कथनों/तथ्यों के आधार पर सिद्ध होता है कि अतिक्रमित भूमि राजकीय भूमि है। अधीनस्थ

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्यायालय द्वारा पारित बेदखली के आदेश विधिसम्मत हैं जिमसें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी० आर० मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)